

## अनुबंध-1.

चलनिधि जोखिम पर सार्वजनिक प्रकटीकरण (तिमाही आधार पर निम्न प्रकटीकरण किया जाए)

1) महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार<sup>3</sup> के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण (जमाराशि और ऋण दोनों)

क्र.सं	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा का प्रतिशत	कुल देयताओं का प्रतिशत

2) टॉप 20 बड़े जमा (राशि ₹ करोड़ में एवं कुल जमा का %)

3) टॉप 20 उधारी (राशि ₹ करोड़ में एवं कुल ऋण का %)

4) महत्वपूर्ण प्रपत्र /उत्पाद<sup>4</sup> के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण

क्र.सं	प्रपत्र/उत्पाद का नाम	राशि (₹. करोड़ में)	कुल देयताओं का %

5) स्टॉक अनुपात:

- I. कुल सार्वजनिक निधि के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र, कुल देयताएं एवं कुल आस्तियां.
- II. कुल सार्वजनिक निधि, कुल देयताएं एवं कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अपरिवर्तनीय ऋण -पत्र (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)
- III. कुल सार्वजनिक निधि, कुल देयताएं एवं कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधि देयताएं, यदि कोई हो.

6) चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा.

<sup>3</sup> "महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार" से तात्पर्य है कोई एक प्रतिपक्षकार अथवा परस्पर जुड़े हुए या संबंधित प्रतिपक्षकारों का समूह जो एनबीएफसी की कुल देयताओं के 1% से अधिक राशि का हो।

<sup>4</sup> "महत्वपूर्ण प्रपत्र/उत्पाद" से तात्पर्य है समान प्रपत्र/उत्पाद समूह का कोई एकल प्रपत्र/उत्पाद जो एनबीएफसी की कुल देयताओं के 1% से अधिक राशि का हो।